ISSN: 2230-7850 IMPACT FACTOR : 5.1651 (UIF) VOLUME - 7 | ISSUE - 4 | MAY - 2017

INDIAN STREAMS RESEARCH JOURNAL

" उमरिया जिला की छात्राओं के विकास में शासकीय योजनाओं का एक आर्थिक सर्वेक्षण "

डॉ. राजू रैदास[1] , कन्हैया कुमार विश्वकर्मा[2]
[1]अतिथि विद्वान (वाणिज्य) , शास.महाविद्यालय उमरिया (म.प्र.) भारत.
[2]अतिथि विद्वान (वाणिज्य) , शास.महाविद्यालय उमरिया (म.प्र.) भारत .

प्रस्तावना :-

उमरिया जिला समुद्र सतह से 489 मीटर ऊँचाई पर तथा 23^0-31'-37" उत्तरी अक्षाशं 80^0-50'-10" पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। उमरिया जिले के उत्तर में सतना, उत्तर पश्चिम में कटनी, उत्तर पूर्व में शहड़ोल, पश्चिम दक्षिण में जबलपुर, उत्तर पूर्व में शहड़ोल, दक्षिण में डिड़ौरी जिलों से घिरा हुआ है।

भारत के मानचित्र पर उमरिया जिले का नामकरण स्वतंत्रता के पश्चात हुआ है, स्वाधीनता के उपरान्त देशी राज्यों के विलीनीकरण प्रक्रिया में बुन्देलखण्ड और बघेलखण्ड की छोटी - बड़ी 36 रियासतों को मिलाकर विन्ध्यप्रदेश का गठन किया गया, जुलाई 1998 में करकेली, पाली एवं मानपुर तहसीलों को मिलाकर यह जिला बना। 1 नवम्बर 1956 को महाकौशल, मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश एवं अन्य सीमावर्ती क्षेत्र के 43 हिन्दी भाषी जिलों को मिलाकर मध्यप्रदेश राज्य बनाया गया।

उमरिया जिला उत्तर से दक्षिण लगभग 115 किलोमीटर लम्बा तथा पूर्व से पश्चिम लगलग 95 किलोमीटर चौड़ा है। इसका कुल क्षेत्रफल 4503 वर्ग किलोमीटर है। उमरिया जिले को पूर्व में 3 तहसीलों में विभक्त किया गया था। मानपुर, बॉधवगढ़ एवं पाली तथा बाद में चौथी तहसील के रूप में चंदिया, नौरोजाबाद को दर्जा दिया गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल 5 तहसीलों एवं 03 विकासखण्ड है। तहसीलों का क्षेत्रफल क्रमशः मानपुर 1952, करकेली 1678 एवं पाली 873 किलोमीटर है।

वर्तमान समय में महिला एवं विकास मंत्रालय बालिकाओं के कल्याण व विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है। बालिका शिक्षा का हमारे देख में अत्यंत महत्व है। महिला शिक्षा न केवल परिवार अपितु समाज व राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक है। अतः आवश्यकता है, ऐसी योजनाएँ बनाने एवं क्रियान्वयन करने की जिसमें छात्राओं को शिक्षित कर उनका सर्वांगीण विकास किया जा सकें। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ऐसी अनेक योजनाएँ चलायी जा रही है, जिससे बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सकें। प्रस्तुत शेध पत्र में उमरिया जिला की छात्राओं के विकास में शासकीय योजनाओं का मध्यप्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का अध्ययन किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य :-

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उमरिया जिला की छात्राओं के विकास में शासकीय योजनाओं का एक आर्थिक सर्वेक्षण कर छात्राओं की समस्याओं, आकांक्षाओं की जानकारी प्राप्त करना है, उनके निवारणार्थ क्या-क्या किया गया है, किया जा सकता है, समाज का क्या दृष्टिकोण है, क्या था क्या होना चाहिए आदि को जानना समझना मनन् चिंतन अध्ययन करना है।

अध्ययन का मुख्य उद्देश्य निम्न लिखित है :–

1. सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना।
2. योजनाओं से लाभांवित छात्राओं की जानकारी प्राप्त करना।
3. छात्राओं के सर्वांगीण विकास में शासकीय योजनाओं की भूमिका की जानकारी प्राप्त करना।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा उमरिया जिला की छात्राओं के विकास में शासकीय योजनाओं का सर्वांगीण विकास के लिए निम्न योजनायें संचालित की जा रही हैं –

1. **लाडली लक्ष्मी योजना :– मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका लक्ष्य शैक्षिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के माध्यम से लड़कियों के भविष्य की दृढ़ नींव रखना और एक लड़की के जन्म के प्रति सामाजिक रुख में सकारात्मक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से है। इस योजना का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 2007 में किया गया था। जिसके बाद छह अतिरिक्त राज्यों के लिए विस्तार किया गया। इस योजना के तहत सरकार राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र हर साल 6000 रुपये पाँच साल तक खरीदती है और इन्हें समय-समय पर नवीनीकृत कर दिया जाता है छठी कक्षा में लड़की के प्रवेश के समय 2000 और नौवीं कक्षा में प्रवेश पर 4000 लड़की को भुगतान किया जाएगा। जब वह 11 वीं कक्षा में भर्ती हो जाती है तो उसे 7500 मिलेगा अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा के दौरान उसे हर महीने 200 मिलेगा। 21 वर्ष पूरे होने पर उसे शेष राशि मिलेगीए जो कि 1 लाख से ज्यादा होगी।**
2. **पिछड़ा वर्ग कल्याण –** कक्षा 7वीं से 12वीं के लिए यह छात्रवृति प्रदान की जाती है अभी तक 45 लाख विद्यार्थियों को राज्य छात्रवृत्ति एवं लगभग 8 लाख विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

3. **राज्य छात्रवृत्ति योजना :–**

उद्देश्य : - राज्य छात्रवृत्ति राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के साथ प्रदान की जाती है कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को उनके अध्ययन के दौरान आर्थिक समस्याओं का सामना करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और उनकी रुचि उनकी पढ़ाई में रहेगी। यह योजना स्कूल छोड़ने की दर को कम करने में सहायक साबित हुई है।

छात्रवृत्ति दर : - यह छात्रवृत्ति कक्षा 1 की और लड़कियों को 6 वीं कक्षा से दी जाती है। वर्तमान में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीनों के लिए छात्रवृत्ति की दर दी जा रही है।

कक्षा	लड़कों के लिए प्रति माह छात्रवृत्ति दर	लड़कियों के लिए प्रति माह छात्रवृत्ति दर
कक्षा 1 से 5 वें	रुपये। 15 / - प्रति माह (केवल विशिष्ट पिछड़े वर्ग के लिए)	रुपये। 15 / - प्रति माह
कक्षा 6 से 8 वें	रुपये। 20 / - प्रति माह	रुपये। 30 / - प्रति माह
कक्षा 9 से 10 वें	रुपये। 60 / - प्रति माह	रु .80 / - प्रति माह

छात्रवृत्ति की प्रक्रिया: - छात्रवृत्ति का रूप धारण करने के बाद संस्था के प्रमुख को जमा किए जाने वाले संबंधित संस्थानों द्वारा छात्रों को मुफ्त में दिया जाता है।

1. सरकारी संस्थानों में, प्रिंसिपल / हेडमास्टर्स को छात्रवृत्ति के अनुमोदन और वितरण के लिए सशक्त किया गया है।
2. निजी शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रावधान है कि छात्रवृत्ति के अनुमोदन और वितरण के लिए उन्हें सरकारी एजेंसियों से संपर्क करना होगा।
3. कक्षा 1 से पांचवीं कक्षा तक छात्रवृत्ति के वितरण के लिए निर्देश सार्वजनिक प्रतिनिधियों की उपस्थिति में छात्रों के माता-पिता को राशि का भुगतान करना है। शेष खातों के लिए छात्रवृत्तियां बैंक खातों के माध्यम से वितरित की जा रही हैं। 1 वीं कक्षा से 10 वीं के लिए राज्य छात्रवृत्ति का भुगतान करने का प्रावधान 31 अक्टूबर तक एकमात्र भुगतान करने के लिए है।

आय सीमा: राज्य छात्रवृत्ति पाने के लिए छात्रों के माता-पिता के लिए आय सीमा कोई भी बार नहीं है।

संपर्क : - कलेक्टर, सहायक आयुक्त और जिला संयोजक, जनजातीय कल्याण विभाग।

4. **छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना –** शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र छात्राओं के लिए 2008–06 से छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गयी है।
5. **सुदामा प्री मैट्रिक योजना –** सामान्य गरीब परिवार से 9 वीं और 12 वीं कक्षा के छात्रों के लिए सुदामा-प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना प्रदान की जाती है। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। यह योजना सामान्य गरीब परिवार से 9वीं और 12 वीं कक्षा के छात्रों के लिए है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। यह छात्रों को वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करता है। लड़कियों और लड़कों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय मध्य प्रदेश यह योजना शुरू की गई है।

पात्रता :– सामान्य गरीब परिवार से कक्षा 9 व 12 वीं के छात्रए जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और जिनकी परिवार की सभी स्रोतों से आय 54000/– से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत लाभ निम्नानुसार हैं:

1- लड़की को 400 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी, जबकि लड़के को सालाना 300 रुपये प्रति वर्ष / सालाना दिया जाएगा।
2- रु। की वार्षिक छात्रवृत्ति लड़की को 400 और रु। सामान्य गरीब परिवार के लड़के से 300/– रुपये प्रति वर्ष / सालाना दिया जाएगा।

आवेदन कैसे करे :– संबंधित स्कूल के प्रिंसिपल से संपर्क करें।

6. **स्वामी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक प्रावीण्य छात्रवृत्ति योजना –** उमरिया जिला की छात्राओं के विकास के लिए इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 10वीं व 12 वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीण निर्धन परिवार की छात्राओं को 550/– प्रति वर्ष। प्रदान किया जाता है।
7. **डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आजाद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना –** उमरिया जिला की छात्राओं के विकास के लिए इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 12वीं में सर्वाधिक अंकों से उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं को प्रदान किया जाता है।
8. **पितृ हीन कन्याओं को छात्रवृत्ति –** उमरिया जिला की छात्राओं के विकास के लिए इस योजना के अन्तर्गत अभी तक लगभग इस योजनाओं में 1 लाख 35 हजार छात्र छात्राओं को लाभ से लाभान्वित किया गया है।
9. **अल्पसंख्यक कल्याण –** उमरिया जिला की छात्राओं के विकास के लिए इस योजना के अन्तर्गत विद्यार्थीयों को पोस्ट मैट्रिक एवं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति से लाभान्वित किया गया है।
10. **सायकिल वितरण –** उमरिया जिला की छात्राओं के विकास के लिए इस योजना के अन्तर्गत कक्षा 6वीं से 12 वी तक राज्य शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के बालक/बालिका को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करने के लिए सभी वर्ग की छात्राओं कों इस योजना का लाभ मिलता है।
11. **गांव की बेटी योजना –** उमरिया जिला की छात्राओं के विकास के लिए इस योजना के अन्तर्गत इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाशाली लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित कर सहायता करना है। इस योजना के तहत 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से पास करने वाली ग्रामीण लड़कियों को 10 महीने तक 500 रू0 प्रति महिने दिए जाते हैं। अभी तक लगभग 1 लाख 85 हजार छात्राओं को इस योजना से लाभान्वित किया गया है।
12. **प्रतिभा किरण योजना –** उमरिया जिला की छात्राओं के विकास के लिए इस योजना के अन्तर्गत इस योजना का उद्देश्य ऐसे शहरी बी.पी.एल. परिवारों की बालिकाओं के शैक्षिक स्तर में सुधार लाना है, जिन्होंने कक्षा 12वीं में प्रथम श्रेणी पास करने के बाद उसी वर्ष उच्च शिक्षा में प्रवेश ले लिया है। इस योजना में पात्र बालिका को दस महीनों के लिए 500/– प्रतिमाह तथा तकनीकी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर 750/– प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाते है। अभी तक बहुत सी छात्राए लाभान्वित हुई है।
13. **साक्षर भारत योजना –** उमरिया जिला की छात्राओं के विकास के लिए इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में केन्द्र प्रवर्तित इस योजना का शुभारंभ 19 अप्रैल, 2010 को किया गया। इसका उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु की निरक्षर महिलाओं को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना एवं अध्ययनशील समाज का निर्माण करना है।

उमरिया जिला की छात्राओं के विकास में शासकीय योजनाओं का एक आर्थिक सर्वेक्षण छात्राओं के सर्वागीण विकास में शासकीय योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के जीवन स्तर में वृध्दि देखी गई है। महिलाए अब पुरूषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं शासन से लाभान्वित महिलाओं के कारण अन्य महिलाओं में भी जागरूकता आ रही है।

उमरिया जिला की छात्राओं के विकास में शासकीय योजनाओं का छात्राओं के सर्वागीण विकास के लिए उन्हें निःशुल्क पुस्तकें, नौकरियों में आरक्षण एवं शिक्षा हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा छात्राओं के कौशल विकास के लिए अनेक व्यवसायिक एवं गैर व्यवसायिक पाठ्यकृमों को संचालित किया जा रहा है। सरकारी सुविधाओं के कारण सामाजिक पारिवारिक मानसिकता में परिर्वतन आया है।

14. **आवागमन योजना –** उमरिया जिला की छात्राओं के विकास के लिए इस योजना के अन्तर्गत उमरिया जिले के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है।
15. **आवास योजना –** उमरिया जिला की छात्राओं के विकास के लिए इस योजना के अन्तर्गत उमरिया जिले के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है।
16. **निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तक वितरण योजना –** उमरिया जिला की छात्राओं के विकास के लिए इस योजना के अन्तर्गत उमरिया जिले के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी एवं पुस्तक वितरण का लाभ दिया जा रहा है। यह योजना वर्ष 2009 में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित किया गया है।

17. **ST विज्ञान योजना : –** उमरिया जिला की छात्राओं के विकास के लिए इस योजना के अन्तर्गत उमरिया जिले के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है।
18. **एकीकृत छात्रवृति योजना : –** उमरिया जिला की छात्राओं के विकास के लिए इस योजना के अन्तर्गत उमरिया जिले के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है। यह योजना वर्ष 2008–09 में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित किया गया है।
19. **निर्धन छात्रवृति योजना : –** उमरिया जिला की छात्राओं के विकास के लिए इस योजना के अन्तर्गत उमरिया जिले के महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है। यह योजना वर्ष 2000–01 में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा संचालित किया गया है।
20. **विक्रमा दित्य योजना। 21. श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना 22. कर्मकार कल्याण मण्डल योजना 23. विमुक्त एवं घुमक्कड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना।**

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की विभागीय प्रतिवेदन वर्ष 2015–16
2. मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2015–16 आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय म.प्र.
3- www.google.com/wikipedia.com `

डॉ. राजू रैदास
अतिथि विद्वान (वाणिज्य) , शास.महाविद्यालय उमरिया (म.प्र.) भारत.

कन्हैया कुमार विश्वकर्मा
अतिथि विद्वान (वाणिज्य) , शास.महाविद्यालय उमरिया (म.प्र.) भारत .